

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / १५५ /2020 दिनांक : ०४.04.2020

श्री राजेश शर्मा (RJ0378), अति. सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न प्रकरण), बीकानेर को दिनांक 02.03.2020 से 06.03.2020 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 01.03.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04, बीकानेर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न प्रकरण), बीकानेर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
[Signature] 08.4.2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/46/2002/ 2018

दिनांक : 09.04.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर को उनके पत्रांक 1832 दिनांक 07.03.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री राजेश शर्मा (RJ0378), अति. सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न प्रकरण), बीकानेर ।
4. अति. सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न प्रकरण), बीकानेर ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04. बीकानेर ।

[Signature] 9.4.2020
सहायक रजिस्ट्रार